

प्रेषक

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में 06 ओ0टी0 को इमपोर्टेड मॉड्यूलर ओ0टी0 एवं 04 ओ0टी0 को नये माडल पर अपग्रेड कार्य हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/882, दिनांक 08-02-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 3,00,00,000/- (रू0 तीन करोड़ मात्र) की बचत के सापेक्ष मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में 06 ओ0टी0 को इमपोर्टेड मॉड्यूलर ओ0टी0 एवं 04 ओ0टी0 को नये माडल पर अपग्रेड कार्य हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 3,00,00,000/- (रू0 तीन करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
- (2) जिस मद से धनराशि संक्रमित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, उसमें इस वित्तीय वर्ष में पुनः अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
- (3) महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (4) जिस मद में बचत बताते हुए उससे पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उसमें पुनर्विनियोग हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।
- (5) महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- (6) व्यय वित्त समिति की शर्तों एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-03-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-40-मेडिकल कालेज, इलाहाबाद-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-207/दस-2017, दिनांक 02 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 41/2017/ 352(1)/71-1-2017 तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद/गोरखपुर।
- 3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद/गोरखपुर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव